

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1973/भाषा 7, 1895

No. 233]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1973/ASADHA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June 1973

S.O. 358(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.R.O. 4095, dated the 17th December, 1957 and S.O. 3113, dated the 19th August, 1972, the President hereby directs that the Administrators of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman and Diu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Mizoram and Pondicherry (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the Central Government under the Explanation to section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) within their respective Union territories.

[No. U-11030/2/73-UTL.]

M. K. NAIR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1973

का० आ० 358 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 4095, तारीख 17 दिसम्बर, 1957 और का० आ० 3113, तारीख 19 अगस्त, 1972 को अधि-क्रांत करते हुए, निर्दिष्ट करते हैं कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन-दीवो द्वीप समूह, मिज़ोरम और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भी (उन्हें उप राज्य पाल, मुख्यायुक्त या प्रशासक जो भी कहा जाता हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) को धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन अपने अपने संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[सं० यू०-11030/2/73-यू टी एल]

एम० क० नायर, संयुक्त सचिव।